न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2018 फोरलेन

उनवान

सड़क परिवहन एवं राजमार गं मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौड़गढ़ साईट ऑफिस– 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा	**बनाम**	1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अपर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा) 2. मैसर्स जयश्री बिल्डमार्ट प्रा0 लि0, सी–66, शास्त्री नगर, भीलवाडा जरिये डायरेक्टर सुनील जोशी
––प्रार्थी/परिवादी		**––विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. **श्री दिनेश चन्द्र बापना अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से**
2. **श्री ललित कुमार पुरोहित तहसीलदार हमीरगढ़ – विपक्षी सं.1 की ओर से**
3. **श्री दीपक श्रीमाली अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 10.05.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 के (गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़) के किमी.120.000 से किमी. 152.000 तक चौड़ा करने/चारलेन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 (a) के अन्तर्गत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र का.आ. 368 (अ) दिनांक 02.04.2002 द्वारा जारी की गई एवं धारा 3 (A) के अन्तर्गत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र का.आ. 823 (अ) दिनांक 01.08.2002 को जारी की गयी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(D) की उपधारा (2) के अनुसरण में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंग्मों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी जिसमें जिला भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा (वर्तमान में तहसील हमीरगढ़) के ग्राम बिलियांकला के अवाप्त खसरा संख्या 965 में कुल 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी, जिस भूमि में से मात्र 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि बाबत विपक्षी सं.–1 द्वारा दिनांक 22.11.2002 को अवार्ड सं. 269/2002 हितबद्ध व्यक्ति समुराई सिन्थेटिक्स प्रा0 लि के पक्ष में जारी किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–79 के चारलेन सड़क को छः लेन बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसमें शेष रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि छः लेनीकरण निर्माण

हेतु आवश्यकता है जिस बाबत अवार्ड पारित करने हेतु विपक्षी सं.–1 को जरिये पत्र भाराराप्रा/साईट ऑफिस– भील/एन.एच.79/2017/1795 दिनांक 27.12.2017 एवं 79/2017/2943 दिनांक 24.04.2018 द्वारा निवेदन किया गया लेकिन अभी तक उक्त शेष रकबे का अवार्ड पारित नहीं किया गया। जब सम्पूर्ण 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत अवाप्ति की कार्यवाही की गयी थी तो सम्पूर्ण रकबे का अवार्ड पारित किया जाना चाहिये था इस हेतु विपक्षी संख्या–1 दायित्वाधीन थे अब भी बावजूद निवेदन के शेष रकबे का अवार्ड जारी नहीं फरमाने से छः लेनीकरण निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जिससे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अपर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा को आदेशित किया जाना आवश्यक हैं कि शेष रकबे का अवार्ड पारित करें ताकि मुआवजा राशि बाबत् राष्ट्रीय राजमार्ग के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में राशि जमा करायी जा सके एवं अवाप्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाकर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.07.2018 को पंजीबद्ध किया गया एवं विपक्षी के नाम पर सम्मन जारी किया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अपर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा से रिकॉर्ड तलब किया गया जो दिनांक 25.01.2019 को प्राप्त हुआ।

विपक्षी सं.–1 की ओर से प्रभारी अधिकारी ललित कुमार पुरोहित तहसीलदार हमीरगढ़ की ओंर से न्यायालय हाजा में दिनांक 11.03.2019 को प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से अभिवचन किया कि ग्राम बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ के आराजी नं. 965 में कुल 2.14 बीघा किस्म उद्योग भूमि अवाप्त के सम्बन्ध में खातेदार/हितधारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में तत्कालीन तहसीलदार भीलवाड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमें आराजी नम्बर 965 रकबा 2.14 बीघा के बजाय 1.06 बीघा भूमि ही चारलेन निर्माण में अवाप्त योग्य बताया जाने से दिनांक 22.11.2002 को प्रकरण संख्या 269/2002 में आराजी संख्या 965 में 1.06 बीघा भूमि का अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति समुराई सिन्थेटिक्स प्रा0 लि0 के पक्ष में जारी किया गया। आगे अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि आंशिक अवार्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी परियोजना निदेशक द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने से तत्समय 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि की आवश्यकता होने से उतना ही अवार्ड जारी किया गया है। अब 16 वर्ष बाद 3A की अधिसूचना दिनांक 02.04.2002 से प्रतिकर निर्धारण करवाये जाने का अनुरोध किया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थनापत्र अस्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में दिनांक 10.08.2018 को जयश्री बिल्डमार्ट की ओर से अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सि0 प्र0 स0 का आवेदन प्रस्तुत कर विपक्षी पक्षकार जोड़े जाने की इस्तदुआ किये जाने पर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 25.02.2019 द्वारा जय श्री बिल्डमार्ट को विपक्षी सं. 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। विपक्षी सं. 02 ने जवाब प्रस्तुत नही करके प्रकरण में सीधे ही बहस में भाग लेने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान् एवं अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 29.03.2019 को मध्यस्थ वार्ता की गयी। विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता एवं पक्षकार ने कथन किया कि भूमि आज ली जा रही है तो आज की दर से भूमि की किस्म अनुसार मुआवजा निर्धारण कराया जावे। निर्माण संरचना बाबत् विपक्षी संख्या 02 का कथन रहा कि मूल्यांकनकर्ता से हमारी मौजूदगी में मूल्यांकन कराया जाकर निर्माण संरचना बाबत् मुआवजा निर्धारित कराया जावे। जिसमें प्रार्थी पक्ष ने भूमि की किस्म अनुसार इस

न्यायालय के निर्णय दिनांक को प्रचलित भूमि का बाजार मूल्य अनुसार विपक्षी सं. 02 को मुआवजा देने हेतु सहमति व्यक्त की है। विपक्षी संख्या 02 ने अवार्ड दिनांक से तीन माह की अवधि में अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा सड़क निर्माण हेतु सम्बन्धित को सुपुर्द करने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं राष्ट्रहित के बिन्दु को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय विपक्षी संख्या–1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अपर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा) को उनके प्रकरण सं. 269/2002 अवार्ड दिनांक 15.11.2017 प्रेषित कर निम्न आदेश दिया जाता है:–

1– कि विपक्षी संख्या–1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अपर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा) ग्राम बिलियाकलां के अवाप्त खसरा संख्या 965 के शेष रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि बाबत् भूमि की किस्म अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक को प्रचलित भूमि का बाजार मूल्य अनुसार विपक्षी सं 02 के पक्ष में नियमानुसार अविलम्ब अवार्ड जारी करें।

2– कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर निर्माण संरचना बाबत् अधिकृत मूल्यांकनकर्ता से विपक्षी सं. 02 की उपस्थिति में मूल्यांकन रिपोर्ट अविलम्ब प्राप्त कर उसे प्रमाणित करा उस अनुसार विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में अविलम्ब अवार्ड जारी करें।

3– कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा मध्यस्थ वार्ता दिनांक 29.03.2019 को दी गयी सहमति अनुसार विपक्षी संख्या 02 अवार्ड दिनांक से तीन माह के भीतर–भीतर आवश्यक रूप से अवाप्तशुदा भूमि खाली कर सम्बन्धित को सड़क निर्माण हेतु कब्जा सुपुर्द करें। अवाप्तशुदा भूमि को समयावधि मे खाली नही करने पर विपक्षी संख्या 02 के विरूद्व भूमि का कब्जा लेने हेतु सिविल कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी तथा अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर राशि मे भी कटौती की जायेगी।

4– कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा पारित अवार्ड की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौड़गढ साईट ऑफिस– 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा को प्रेषित करने पर परियोजना निदेशक नियमानुसार प्रतिकर राशि भुगतान हेतु कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 10.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

दिनेश चन्द्र बायना